



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: एफ.14(90)प्र.बो./शैक्ष.॥/मदसविधि/2016/ २५७७/


२०३

दिनांक: २४.९.१६

कार्यालय आदेश

प्रबन्ध बोर्ड की ९०वीं बैठक दिनांक २९ अगस्त, २०१६ के मद सं. २५ में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, सीट अभिवृद्धि तथा नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु विश्वविद्यालय अध्यादेश ७०-ए (८) (१) में वर्णित विलम्ब शुल्क सम्बन्धी प्रावधान में शिथिलता प्रदान करत हुए सत्र २०१५-२०१६ एवं आगामी सत्रों से ऐसे राजकीय महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की दिनांक से २ माह की अवधि में बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय


कुलसचिव